न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**दिव्या** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–433/2023

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 53 आर.टी.ए.

1 अवतार सिंह पुत्र जगासिंह जाति जटसिख निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 जगासिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1 टहल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 नायब सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
3 साहब सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
4 ऑबीसी बैंक परिवर्तित पीएनबी शाखा पक्का सहारणा जरिये शाखा प्रबधंक
5 आरएमजीबी बैंक शाखा पक्का सहारणा जरिये शाखा प्रबधंक
6 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री प्रद्यूमन सिंह परमार – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अमोलक सिंह पंवार – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 6

–ःनिर्णयः–

दिनांक ....

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम चक 24 एलएलडब्ल्यू संयुक्त खाता सं. 38/35 प.न. 63/229 मु.न. 56 किला नं. 2 ता 9/.253 है.प्र. व प.न. 64/229 मु.न. 55 किला नं. 1 ता 4/.253है.प्र, 5/1/0.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 6/1/.203, 6/2/.025, 6/3/.025, 7 ता 10/.253 है.प्र कुल तादादी 4.5540 है. नहरी मय गै.मु. दर्ज राजस्व रिकार्ड भूमि का कब्जा काश्त व घराघरू बंटवारा अनुसार वादीगण द्वारा विभाजन चाहा गया है।

वाद पत्र जैरकारी के दौरान दिनांक 07.02.2024 को वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा पेश किया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम चक 24 एलएलडब्ल्यू संयुक्त खाता सं. 38/35 प.न. 63/229 मु.न. 56 किला नं. 2 ता 9/.253 है.प्र. व प.न. 64/229 मु.न. 55 किला नं. 1 ता 4/.253है.प्र, 5/1/0.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 6/1/.203, 6/2/.025, 6/3/.025, 7 ता 10/.253 है.प्र कुल तादादी 4.5540 है. यानि 18 बीघा नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला दर्ज भूमि का विभाजन पेश कर निवेदन किया कि– मुताबिक घराघरू बंटवारानामा के वादी सं. 1 को 1.012 है. व वादी सं. 2 को 1.518 है. कुल 10 बीघा भूमि चक 24 एलएलडब्ल्यू संयुक्त खाता सं. 38/35 प.न. 64/229 मु.न. 55 किला नं. 1 ता 4/.253है.प्र, 5/1/0.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 6/1/.203, 6/2/.025, 6/3/.025, 7 ता 10/.253 है.प्र कुल तादादी 2.530 है. कृषि भूमि विभाजित हुई है व इसी अनुसार वादीगण व शेष भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 काबिज है और काश्त कर रहे है। शेष कृषि भूमि प.न. 63/229 मु.न. 56 किला नं. 2 ता 9 पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:53:46 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमलरामद करवाये जाने पर जरिये राजीनामा सहमति व्यक्त की।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता अमोलक सिंह पंवार ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 3 सुनी गई। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश वाद पत्र व राजीनामा अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादी वाद मुताबिक राजीनामा, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है किः– चक 24 एल.एल. डब्ल्यू. खाता सं. 38/35 प.न. 64/229 मु.न. 55 किला नं. 1 ता 4/.253 है.प्र, 5/1/0.203, 5/2/.025, 5/3/.025, 6/1/.203, 6/2/.025, 6/3/.025, 7 ता 10/.253 है.प्र. कुल तादादी 2.530 है. के विभाजन में वादी सं. 1 अवतार सिंह को 1.012 है. व वादी सं. 2 जगा सिंह को 1.518 है. कुल 10 बीघा भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार वादीगण का प्रतिवादीगण से खाता अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। शेष कृषि भूमि प.न. 63/229 मु.न. 56 किला नं. 2 ता 9 पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए शेष खाता प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में यथावत रखने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– प्रश्नगत रकबा रहन मुक्त होने पर निर्णय की पालना की जावें।

(दिव्या)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**दिव्या,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–433 / 2023

1 अवतार सिंह पुत्र जगासिंह जाति जटसिख निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

2 जगासिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1 टहल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

2 नायब सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

3 साहब सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

4 ऑबीसी बैंक परिवर्तित पीएनबी शाखा पक्का सहारणा जरिये शाखा प्रबधंक

5 आरएमजीबी बैंक शाखा पक्का सहारणा जरिये शाखा प्रबधंक

6 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रद्यूमन सिंह परमार वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अमोलक सिंह पंवार वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 24 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 38 / 35 प.न. 64 / 229 मु.न. 55 किला नं. 1 ता 4 / .253 है.प्र, 5 / 1 / 0.203, 5 / 2 / .025, 5 / 3 / .025, 6 / 1 / .203, 6 / 2 / .025, 6 / 3 / .025, 7 ता 10 / .253 है.प्र. कुल तादादी 2.530 है. में वादी सं. 1 अवतार सिंह को 1.012 है. व वादी सं. 2 जगा सिंह को 1.518 है. कुल 10 बीघा भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार वादीगण का प्रतिवादीगण से खाता अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। शेष कृषि भूमि प.न. 63 / 229 मु.न. 56 किला नं. 2 ता 9 पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए शेष खाता प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में यथावत रखने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन / न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गै.मु. / गैर खातेदारी / आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

नोटः– डिक्रीत आराजी रहन मुक्त होने के उपरान्त ही का निष्पादन किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:46 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ